

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प :- अटल सेवा केन्द्र ~~राशमी~~ उदयपुर



राजस्व लोक अदालत अभियान
 न्याय आपके द्वार-2018

-: आदेश :-

प्रसं० :- 101 / 2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार हल्का उदयपुर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त उदयपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा उदयपुर तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 277 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>उदयपुर</u>	<u>277</u>	<u>श्री शंकरलाल श्यामलाल पिन 34 बरानी बैठा उदयपुर</u>	<u>श्री शंकरलाल श्यामलाल पिन 34 बरानी बैठा पत्नी स्व. उदयलाल बरानी</u>

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(101)2018
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 14-5-2018
 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) (उदयपुर राशमी कारी)

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री शंकरलाल श्यामलाल को सूचनार्थ।

शंकरलाल श्यामलाल
पिन 34 बरानी बैठा

101
 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) (उदयपुर राशमी कारी)
 राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़